

प्रेम,

श्री अजीम बागुजी,
सुनवेय स्कूल,
उत्तर प्रदेश भारत ।

आप से,

शुभक
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिशन रोड 2 नुमादा
इति विहार नई दिल्ली ।

दिनांक 17/12/1997

दिनांक: 29 जनवरी, 1997

विषय:- हमारे स्कूल रामपुर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु
आवृत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है ।

सादर,

अवृत्त विषय पर हमें यह कदम का निर्णय हुआ है कि हमारे स्कूल
रामपुर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु आवृत्ति प्रमाण पत्र दिए
जाने में हम राज्य सरकार से विभिन्न विधायकों के सहयोग प्राप्त नहीं है ।

- 1- विद्यार्थी की परीक्षा तैयारी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यार्थी को प्रत्येक सप्ताह में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यार्थी में हमारे स्कूल पर प्रतियोगिता स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षा रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारित विद्यार्थी में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित हूक के अधिक हूक नहीं दिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद से सी.बी.एस.ई. सम्बन्धित अनुदान के तब विद्यार्थी की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/संलग्न कर दि. 1/1/1997 नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धित तब राज्य सरकार से अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के लिए सभी विद्यार्थी के परिवारों को राजकीय सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के क्षेत्रों में तब अनुदान प्राप्त नहीं दिये जायेगे ।
- 6- अधिकारियों की सेवा भी कराये जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगामी उच्चतः माध्यमिक विद्यार्थी के अधिकारियों को अनुसूचित सेवा नियमित का काम करना कराये जायेगी ।

Manager
Manager
Sunway School, Rampur

Principal
Principal
Sunway School Rampur

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैरका उनका पालन करेगा ।

8- विद्यमान का रिकार्ड निर्धारित प्रवर्ग/वर्गिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिष्कार/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को अनावरित प्रमाण पत्र दिये जाने के पूर्व सुनिश्चित किया जाय कि -

111 संवत्सक निर्धारित के दस्तावेजों का नवीनीकरण अवकाश प्रमाण पत्र की प्रतिनिधि तहसिल गतन को अत्यंत शरया जायेगा ।

121 संवत्सक रिपोर्टें एवं वित्तीय/व्यवसायिकों की वेतन न्यूनतम मजूरी को व्यवसायानुसंग/मानकानुसंग दिया जायेगा ।

131 विद्यमान के निजी स्थाविक में प्रति वर्ष न्यूनतम मानकानुसंग प्राप्त करी गतन को अत्यंत शरया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृथ्वा या मिथिता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनावरित प्रमाण पत्र वाचक में लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख अधिकारी
संयुक्त तहसिल

पत्रांक 2618111/15-7-1997 तदतिर्गत

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवर्ण एवं अथवा उक्त शर्तों की हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश नगर ।
- 2- अधीन प्रमुख शिक्षा निदेशक, बुटादाबाद ।
- 3- शिक्षा विद्यमान निरीक्षक, रामपुर ।
- 4- निरीक्षक, प्रमुख भारतीय विद्यमान उग्र नगर ।
- 5- प्रमुख, जन से रूपा रामपुर ।

उक्त से,

[Signature]

प्रमुख अधिकारी
संयुक्त तहसिल

[Signature]
Manager
Sunway School, Rampur

[Signature]
Principal
Sunway School Rampur